न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/12/2018	28—03—2018	28—11—2018

1—रामकिशोर पुत्र बन्शी जाति जाट निवासी ग्राम जातपुर तहसील रामगढ़ जिला

अपीलान्ट

बनाम

1—तहसीलदार, भू0अ0, रामगढ़ जिला अलवर।

रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रामगढ़ का निर्णय दिनांक 06.09.2009 नामान्तकरण संख्या 206 ग्राम जातपुर जिला अलवर।

उपस्थित:—

01. श्री हीरालाल —वकील अपीलान्टस

---:: निर्णय ::---

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 06.09.2009 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 206 ग्राम जातपुर तहसील रामगढ़, जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि किसान केडिट कार्ड के लिए जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर जाहिर हुआ कि अपीलांट के पिता का नाम गलत तौर पर रामस्वरूप दर्ज कर दिया गया। जिस पर मिन अपीलांट ने दिनांक 26.03.2018 को नकल प्राप्त करने हेतु पेश किया। नकल प्राप्त कर अन्दर मियाद बिना देरी के अपील पेश की गयी। दिनांक 06.09.2009 से दिनांक 26.03.2018 तक का समय लाइल्म नेक नियति व सद्भावना पर आधारित होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया गया है। मिन अपीलांट ने आराजी खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.20 है0 वाके ग्प्रम जातपुर तहसीलदार रामगढ के विरूद्ध पेश किया गया। मिन अपीलांट के पिता का सही नाम बंशी है। मिन अपीलांट ने जो वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के यहां पेश किया गया था। उसमें भी पिता का नाम बंशी होना दर्ज किया गया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ से दिनांक 17.09.2008 को डिक्री फरमाई गयी। जिसमें भी अपीलांट के पिता का नाम बंशी ही दर्ज है। किन्तु पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल खोलते समय पिता का नाम बंशी के स्थान पर रामस्वरूप दर्ज कर दिया गया था। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विवादित इंतकाल संख्या 206 ग्राम जातपुर तहसील रामगढ को संशोधन फरमाई जाकर सही नाम रामकिशोर पुर बंशी जाट, निवासी जातपुर तहसील रामगढ दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा--5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 06.09.2009 के विरूद्ध दिनांक 28.03.2018 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 08 वर्ष से अधिक समय विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधि असाधारण नही है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा—5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल दर्ज करते

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

समय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.09.2008 का परीक्षण नहीं किया गया। बिना परीक्षण के ही इंतकाल दर्ज कर दिया गया।

अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या को निरस्त कर तहसीलदार रामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय व डिक्री का परिक्षण कर पक्षकारों को सुनकर पुनः सही नामान्तरकरण दर्ज करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 28–11–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)